

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

नीरज धर,
उप सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

पटना, दिनांक:-

विषय:- परिवाद सं०-05/लोक(पथ)-4/2016 में दर्ज कार्यभारित स्थापना में भविष्य निधि मद में काटी गई राशि के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-2535, दिनांक-30.07.2026
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यभारित स्थापना अवधि में काटी गई भविष्य निधि के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श निम्नवत् है:-

“यदि कार्यभारित स्थापना की अवधि की भविष्य निधि की राशि शीर्ष-8009 (पूर्व में शीर्ष-8005) में जमा हुई है, तो संबंधित भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त/निर्गत प्राधिकार पत्र के आलोक में उक्त राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है। विपत्र निर्माण में कठिनाई होने पर तकनीकी सहायता CFMS HelpDesk से प्राप्त की जा सकती है।”

अतएव उपर्युक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(नीरज धर)

उप सचिव

ज्ञापांक:-05/स्था०-18(विविध)-14/2026

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि समतुल्य मामले में अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

ह०/-

उप सचिव

ज्ञापांक:-05/स्था०-18(विविध)-14/2026

4045

पटना, दिनांक-

10/09/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/09/26
उप सचिव